राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

क्रमांकःरामाशिप / जय / व्या0शि0 / 2017–18 / 3226 दिनांकः 08 / 05 / 2018

संस्था प्रधान
व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय
समस्त

विषयः– व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाने व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में सत्र 2014–15 से व्यावसायिक शिक्षा विभिन्न व्यवसाय में संचालित है। वर्तमान में सत्र 2017–18 में 720 विद्यालयों में 10 ट्रेड संचालित है। सत्र 2018–19 का प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रकार प्रयास किया जाना हैः–

1. लेवल–1 तथा लेवल–3 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा कौशल विकास हेतु प्रेरित कर ठहराव सुनिश्चित करना है।
2. विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी (कौशल मित्र / राजकीय शिक्षक) को निर्देश प्रदान कर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना है।
3. विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों / ग्राम वासियों से सम्पर्क कर व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर तथा विद्यार्थियों को कौशल विकास के द्वारा रोजगार के बारे में अवगत करवा कर संबंधित व्यावसायिक विषय का निर्धारित नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. लेवल–4 उत्तीर्ण करने के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के अवसर के बारे में भी विद्यार्थियों को समग्र जानकारी प्रदान की जानी है।
5. लेवल–4 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का रिकार्ड संधारण कर उनकी ट्रेकिंग की जानी है। जिससे कि यह जानकारी रहे कि व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थी रोजगार हेतु अथवा उच्च अध्ययन हेतु प्रयासरत है।
6. पिछले वर्षो के नामांकन के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट होता है। अतः इस ड्रॉप आउट को रोकने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार कर ठहराव सुनिश्चित किया जाना है।

इस कार्य के सफल संचालन हेतु आपकी अहम भूमिका है। अतः इस बारे में विशेष ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए तथा ठहराव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रभावी रूप रेखा तैयार कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
02. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
03. उपनिदेशक शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
04. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलों को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करावे।
05. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त